

25.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया कि पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही
हो रही है। उभयपक्ष आवश्यक कार्यवाही नही कर
रहे। पूर्व दिनांक 30.09.2024 को अंतिम अवसर दिया
जाकर हिदायत दी गई थी। उभयपक्ष उपस्थित नही
आए। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व
प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण
आदेशिका दिनांक 30.09.2024 पालना मे वादपत्र
अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील
दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
अनुमानगढ़